प्रेषक,

संख्या–5011/सत्तर–6–2009–2(608)/2009

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2009

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु [illegible]ता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2839/सम्बद्धता/2009, दिनांक 09.03.2009 एवं पत्रांक–4115/सम्बद्धता/2009, दिनांक 01.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन भवानी प्रसाद पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भवानी नगर, चरगांवा, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र [illegible] में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक [illegible] में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां [illegible] माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5011(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. [illegible] भवानी प्रसाद पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भवानी नगर, चरगांवा, गोरखपुर।
4. [illegible] सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।